

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

जनपद अमरोहा नहतौर-नूरपुर-अमरोहा मार्ग (एस.एच. 77) किमी 52 चैनेज 51.106 की दांयी पटरी पर मौहल्ला किशनगढ के खसरा नं० 289 में स्थापित किये जा रहे इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.053818 है० संरक्षित भूमि प्रस्तावित है। याचक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथासंशोधित 1988 की धारा-2 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(रमेश चन्द्र)

प्रभागीय वनाधिकारी

अमरोहा वन प्रभाग अमरोहा।